



NRC और केंद्र का मत

प्रीलिमिंस के लिये

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

मेन्स के लिये:

नागरिकता से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर करते हुए कहा कि [राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर](#) (National Register of Citizens-NRC) को तैयार करना नागरिकों और गैर-नागरिकों की पहचान हेतु किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये एक अनविरय अभ्यास है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उसके पश्चात् उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना केंद्र सरकार को सौंपी गई ज़िम्मेदारी है।
- ध्यातव्य है कि देश के कई राज्यों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का वरोध करते हुए इनके वरिद्ध प्रस्ताव पारित किये हैं।
 - उल्लेखनीय है कि नागरिकता नियम, 2003 (Citizenship Rules, 2003) के अनुसार, NPR, NRC की दशा में पहला कदम है।
- हालाँकि सरकार द्वारा अभी तक संशोधित NPR फॉर्म सार्वजनिक नहीं किया गया है, कति इसमें 'माता-पिता के जन्म की तारीख और नविस स्थान' जैसे विवादास्पद प्रश्न शामिल होने की संभावना है।
- गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964-65 में पूर्वी पाकस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से बंगाल, असम और त्रिपुरा में आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से लोगों के पलायन का सलिसला जनवरी 1964 में शुरू हुआ और मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में यह अपने चरम पर पहुँच गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी पाकस्तान से 31 जनवरी, 1965 तक पलायन करने वालों की संख्या 8,94,137 थी। इन व्यक्तियों में से तकरीबन 2,61,899 लोग प्रवास प्रमाण पत्र के साथ भारत आए, जबकि 1,76,602 लोग पाकस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत आए। वहीं लगभग 4,55,636 व्यक्तियों बिना किसी यात्रा दस्तावेज़ के साथ भारत आए।
 - हालाँकि कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले सभी लोग पहले से ही भारत के नागरिक थे और वे चुनावों में मतदान करते थे।
- गृह मंत्रालय ने वर्ष 1952 और वर्ष 2012 के मध्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 18 आदेशों का हवाला दिया, जसमें पाकस्तान और अफगानिस्तान से 'हडिओं और सखिओं' के लिये अधिमिन्य उपचार की वकालत की गई थी, जिन्होंने वैध वीजा के साथ या बिना भारत में प्रवेश किया था।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

(National Register of Citizens-NRC)

- NRC वह रजिस्टर है जसमें सभी भारतीय नागरिकों का वविरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के वविरण शामिल थे।
- भारत में अब तक NRC केवल असम में लागू की गई है, जसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रहे हैं।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।
- वर्ष 1947 में जब भारत-पाकस्तान का बँटवारा हुआ तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकस्तान (अब बांग्लादेश) चले गए, कति उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा। जसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया

था।

- दरअसल वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया। AASU के 6 वर्ष के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे और NRC तैयार करने का निर्णय लिया गया।

नष्िकर्ष

सरकार के प्रतिनिधिकई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कसरकार ने NRC पर अभी तक कोई स्पष्ट करने नरिणय नहीं लिया है, कति इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय द्वारा NRC को लेकर हलफनामा दायर किया गया है, जो कआम लोगों के समक्ष भ्रम उत्पन्न करता है। आवश्यक है कसरकार इस संदर्भ में स्थतिको स्पष्ट करे और NRC को लेकर उत्पन्न हो रहे तमाम वविदों का एक संतुलति उपाय खोजने का प्रयास करे।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nation-needs-nrc>

